(465)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(184)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 17 APR 2013

आदेश

"प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012–13" के लिए विभाग के आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 से जारी किये गये दिशा–निर्देशों में बिन्दु संख्या 21 के अनुसार न्यास/प्राधिकरण व नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों की आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक की परिधि में आबादी विस्तार के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर पट्टा देने की अधिकारिता दी गई थी एवं इस प्रयोजन हेतु पंचायतों को संबंधित प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश क्रमांक प.3(1192)नविवि/3/2010 दिनांक 4.1.2013 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है।

ऐसी भूमि जो परिधीय क्षेत्र में भी आती है लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि एवं अन्य गांव की आबादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है और उस पर आवास/आबादी बनी हुई है, उनका नियमन किसके द्वारा किया जावेगा, इस विषय में नगरीय निकायों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः इस विषय में स्पष्ट किया जाता है कि परिधीय क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि एवं अन्य गांव की आबादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर के क्षेत्र में बने हुए आवासों/मकानों का नियमन सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. उप सचिव मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर
4. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज0 जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय/तृतीय)/उप शासन सचिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कराने का श्रम करें।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(394)